श्री कुमार रवि, आयुक्त, पटना प्रमंडल–सह–सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार के साथ दिनांक 5मार्च 2022 को आयोजित बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से समर्पित प्रमुख बिन्दु

पटना प्रमंडल से संबंधित सुझाव

पटना मैंट्रो रेल परियाजना एवं पटना स्मार्ट सिटी के संबंध में

– पटना में मैंट्रो रेल परियोजना पर चल रहे निर्माण कार्य में और तेजी लाने की आवश्यकता है जिससे कि यह प्रोजेक्ट ससमय पूरा हो सके । मैंट्रो के प्रारम्भ हो जाने से यह पटनावासियों के लिए लाइफलाइन बन जाएगा एवं यातायात का बोझ कम होग क्योंकि हर साल वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी से सड़क पर दबाव बढ़ता जा रहा है ।

– पटना स्मार्ट सिटी के विभिन्न विभिन्न प्रोजेक्ट पर कार्य होना था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इधर के दिनों में इसके कार्यों की गति धीमी हो गई है अत: हमारा अनुरोध है कि इसके कार्यों में तेजी लाया जाए ।

उद्यमियों एवं व्यवसायियों को आर्म लाइसेंस प्रदान के संबंध में

– उद्यमियों एवं व्यवसायियों को आर्म लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दिया जाना चाहिए तथा आर्म लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को और सहज बनाया जाना चाहिए ।

गंगा घाटों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण के संबंध में

– सभी गंगा घाटों को विकसित एवं सौदर्यीकृत किया जाना चाहिए। दाह–संस्कार के लिए चिह्नित घाटों पर समुचित रूप से सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

क्रमश:..........2

— गंगा नदी यहाॅ के पर्यटन उद्योग का एक स्तंभ बन सकता है । गंगा के किनारों का सौन्दर्यीकरण — घाटों पर सिढ़ीयाॅ, पैदल टहलने के लिए रास्तों का निर्माण, लाइटिंग की समुचित व्यवस्था, जल कीड़ा के साधन, गंगा के बीच में उभरे टापू का सौन्दर्यीकरण एवं विकास, सस्ते और भरोसेमंद फेरी का परिचालन की व्यवस्था पटनावासियों के साथ—साथ पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है ।

<u>विधि—व्यवस्था को और कारगर बनाने के संबंध में</u>

— अपराधिक घटनाओं पर पूर्णरूपेण अंकुश हेतु हमारा सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर CCtv कैमरा लगाया जाए । जिस स्थान पर पूर्व से CCtv कैमरा लगे हैं वह पूर्णरूपेण कार्यरत रहें यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि अपराधी भयभीत हों । पटना में अधिकाधिक पुलिस की पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल के माध्यम से कराया जाना चाहिए इससे विशेष रूप से पटना सिटी जो कि एक घनी आबदीवाला पटना का प्राचीन एरिया है और बहुत सारे पतली—पतली गलियाॅ है जहाॅ पर पुलिस का चार चक्का वाहन नहीं जा पाता है वहाॅ पर काफी प्रभावी होगा ।

<u>उद्यम स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित करने के संबंध में</u>

— उद्यमियों की ज्यादातर प्राथमिकता पटना के आस—पास उद्यम लगाने की होती है अतः हमारा अनुरोध है कि पटना शहर के आस—पास के भूमि को उद्यम स्थापित करने के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए ।

<u>नमामी गंगे प्रोजेक्ट का ससमय पूरा करने के संबंध में</u>

— करीब—करीब पूरे पटना में नमामी गंगे प्रोजेक्ट एवं मैट्रो प्रोजेक्ट पर चल रहे कार्य के कारण सड़कों के काटने से सड़कों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है । सड़कों को काटने के बाद कुछ को तो अभी तक भरा भी नहीं गया है । कुछ को भरा भी गया है तो भारी वाहनों के आवागमन के कारण सड़क नीचे धस गया है । फलस्वरूप सड़क पर अचानक गड्ढा आ जाने के कारण दुर्घटना भी हो रही है । इसका कोई स्थायी समाधान निकालना नितान्त आवश्यक है ।

क्रमशः..........3

पहाड़ी मोड़ एवं बेली रोड में उपरी पुल या under pass के संबंध में

— पहाड़ी पर पहले ही यातायात का काफी दबाव था । बैरिया में बस स्टैण्ड प्रारम्भ होने के बाद स्थिति और चिंताजनक हो गयी है अत: यहॉ पर under pass or overbridge का निर्माण कराया जाना चाहिए साथ ही वहॉ से सभी तरह के अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए ।

— इंडियन रोड कॉग्रेस का निर्णय है कि जहॉ भी 6 लेन की सड़कें हैं वहॉ पर Pedestrian Crossing, under pass or overbridge अत्यावश्यक होना चाहिए । अत: बेली रोड में Womens College से सरदार पटेल भवन तक जगह–जगह पर under pass or overbridge का निर्माण कराया जाना चाहिए ।

मौर्या लोक तथा अन्य व्यवसायिक प्रांगण में नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध में

— जैसाकि आपसभी जानते हैं मौर्या लोक पटना का एक सर्वाधिक लोकप्रिय बाजार प्रांगण हैं जिसमें काफी संख्या में विभिन्न प्रकार के दुकानों के साथ–साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कई एक कार्यालय भी अवस्थित हैं परन्तु इसके भवन के साथ–साथ अन्य नागरिक सुविधाएं एवं लिफ्ट तथा सड़क की स्थिति काफी दयनीय होने के कारण काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है । इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के संबंध में

— ध्वनि प्रदूषण पर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है परन्तु अभी भी ऐसा देखा गया है कि प्रतिबंधित अवधि जो कि रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक की है, इसमें भी Loud Speaker बजाया जाता है । अत: इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए । साथ ही पटना के विभिन्न भागों में अवस्थित समारोह स्थलों के बाहर सख्ती से इसके अनुपालन का बोर्ड लगाया जाना चाहिए तथा उक्त बोर्ड में इसके Violation पर उसकी सूचना देने के लिए संबंधित पदाधिकारियों का मोबाइल नम्बर भी दिया जाना चाहिए ।

क्रमश:.........4

जलजमाव के संबंध में

– पटना के विभिन्न भागों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायी जानी चाहिए क्योंकि बरसात के समय में हर साल शहर के अनेकों मुहल्लों में जल–जमाव के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

– सड़कों के मरम्मत के कारण हर साल सड़क की उँचाई बढ़ जाने के फलस्वरूप सारे नए पुराने मकान, ऑफिस, दुकान नीचा होता जा रहा है और वर्षा एवं सिवरेज का पानी घर एवं दूकान के अंदर आ जा रहा है जिससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है ।

यातायात (Traffic) के संबंध में

– पटना शहर में बस/टैक्सी/ऑटो रिक्सा/ई–रिक्सा की संख्या दिन–ब–दिन बढ़ती ही जा रही है इसको व्यवस्थित करना नितान्त आवश्यक है क्योंकि अव्यवस्थित पार्किंग के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । इसके लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए साथ ही चालकों के लिए नाम की पट्टी के साथ वर्दी को अनविार्य बनाया जाना चाहिए ।

– पटना के प्रमख व्यवसायिक स्थलों पर गाड़ियों की पार्किंग के लिये स्थान चिन्हित कर उसका विकास किया जाना चाहिए जिससे कि अधिकाधिक गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था संभव हो सके ।

यातायात जाम के संबंध में

– पटना के करीब–करीब सभी व्यवसायिक स्थलों पर यातायात जाम की समस्या बनी रहती है जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है । हलांकि ट्रैफिक की समस्या केवल पुलिस प्रशासन से ही संबंधित नहीं है बल्कि इसमें कई विभागों की भागीदारी होती है इसलिए हमारा सुझाव है कि सरकार के स्तर पर आपकी ओर से एक प्रस्ताव रखा जाए कि सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों की एक कमिटी बनाकर यातायात जाम की समस्या से निजात के लिए संयुक्त रूप से पहल किया जाए तथा इसके लिए एक ठोस कार्य योजना बनायी जाए ।

क्रमशः.........5

— पटना के विभिन्न भागों में बने ओवर ब्रीज के नीचे अनाधिकृत रूप से दुकान लगाने के कारण यातायात बाधित होती है । पुलों के नीचे के अवैध कब्जों को व्यवस्थित करने तथा इसे हटाने के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए ।

यातायात नियंत्रण कक्ष की स्थापना

— पटना में गाड़ियों की संख्या में जबर्दस्त वृद्धि को ध्यान रखते हुए एक अलग से यातायात नियंत्रण कक्ष राजधानी पटना में स्थापित करने की आवश्यकता है । भीषण ट्राफिक जाम वाले स्थानों पर वाकी–टॉकी से लैस उपयुक्त संख्या में ट्रैफिक के जवानों को लगाया जाना चाहिए साथ ही इन स्थानो पर हमेशा क्रेन की व्यवस्था रहनी चाहिए ।

ट्रान्सपोर्ट नगर के संबंध में

— पटना शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के कारण पटना के करीब–करीब सभी व्यवसायी बाहर से बड़े वाहनों से अपना सामान ट्रान्सपोर्ट नगर में मंगाते हैं और वहॉ से छोटे–छोटे वाहनों के द्वारा अपने–अपने दुकानों तक लाकर उसकी बिक्री करते हैं । ट्रान्सपोर्ट नगर, पटना राजधानी के व्यवसायियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण भंडारण स्थल होने के बावजूद प्रशासनिक अनदेखी की जा रही है । सड़को की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है जिसके कारण वाहन पलट जाने से व्यवसायियों को दोहरा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है । एक ओर तो उनका सामान बर्बाद होता है दूसरी ओर वाहनों के ड्राईवर–खलासी का इलाज भी कराना पड़ता है । अत: अविलम्ब ट्रान्सपोर्ट नगर के सड़को को दुरूस्त किया जाना चाहिए ।

भवन निर्माण विभाग से संबंधित सुझाव

छड़ की खरीद में ब्राण्ड की शर्त को समाप्त कराने के संबंध में

— ऐसा देखा जाता है कि भवन निर्माण विभाग की ओरसे भवनों का जो निर्माण कराया जाता है उसमें केवल दो–तीन ब्राण्ड के छड़ की खरीद की जाती है जबकि बिहार में छड़ के काफी उत्पादक हैं लेकिन ब्राण्ड का शर्त लगा देने के कारण राज्य के छड़ के विनिर्माण इकाइयॉ वंचित हो जाती है अत: उन्हें भी अवसर दिया जाना चाहिए ।

क्रमश:.........6

MSME के लिए Earnest Money के प्रावधान को समाप्त करने के संबंध में

– भवन निर्माण विभाग के निविदा में राज्य में कार्यरत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) को Earnest Money (अग्रिम धन) जमा करने के प्रावधान को समाप्त किया जाना चाहिए ।

भवन के उपयोग में आनेवाले सामग्रियों की खरीद स्थानीय उद्यम से करने के संबंध में

– भवन निर्माण विभाग की ओर से बननेवाले भवन के उपयोग में आनेवाले सामग्रियों की खरीद स्थानीय उद्यम से ही किया जाना चाहिए जिससे कि राज्य में अवस्थित स्थानीय उद्यमी आर्थिक रूप से और सुदृढ़ हो सकें ।

फ्लाई ऐश ईंट का अधिकाधिक उपयोग के संबंध में

– आवास, औद्योगिक भवन, फलाई ओवर एवं सड़कों के निर्माण में जहॉ तक संभव हो अधिकाधिक फ्लाई ऐश ईंट का उपयोग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जिससे कि पर्यावरण कम–से–कम प्रभावित हो सके ।

Contract Works के संबंध में

– सरकार द्वारा Contract Works में कार्य पर GST को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है जबकि पुराना जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें GST 12% ही था अत: अनुरोध है कि पुराने एग्रीमेंट के अनुसार जो 6% की वृद्धि की गयी है उस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

– पूर्व में संवेदक को टेंडर से 10% से Below जाने का अधिकार नहीं था । वह सीमा अब हटा दिया गया है जिसके कारण अज्ञानतावश संवेदक 30-40% Below जाकर टेंडर डाल रहे हैं । ऐसी परिस्थिति में हो यह रहा है कि टेंडर मिल जाने के बाद संवेदक कार्य करने में असमर्थ हो रहे हैं तथा कार्य की Quality को भी Maintain नहीं कर पा रहे हैं । अत: हमारा अनुरोध है कि इस बात की जॉच की जानी चाहिए यदि सही पायी जाती है तो पूर्व की शर्तें लागू करने पर विचार किया जा सकता है ।

क्रमशः..........7

– सभी सरकारी विभागों की ओर से Price Purchase Policy का अनुपालन किया जाना चाहिए और स्थानीय विनिर्माताओं यथा – सरिया, टाइल्स, प्लाई, पेंट आदि जैसे भवन निर्माण में आनेवाले वस्तुओं को भी सरकार के Approved list में डाला जाना चाहिए ।

****

<u>पटना</u>
<u>दिनांक : **05-03-2022**</u>

श्री कुमार रवि, आयुक्त, पटना प्रमंडल–सह–सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार के साथ दिनांक 5 मार्च 2022 को आयोजित बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से समर्पित प्रमुख बिन्दु

पटना प्रमंडल से संबंधित सुझाव

पटना मैंट्रो रेल परियाजना एवं पटना स्मार्ट सिटी के संबंध में

– पटना में मैंट्रो रेल परियोजना पर चल रहे निर्माण कार्य में और तेजी लाने की आवश्यकता है जिससे कि यह प्रोजेक्ट ससमय पूरा हो सके । मैंट्रो के प्रारम्भ हो जाने से यह पटनावासियों के लिए लाइफलाइन बन जाएगा एवं यातायात का बोझ कम होग क्योंकि हर साल वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी से सड़क पर दबाव बढ़ता जा रहा है ।

– पटना स्मार्ट सिटी के विभिन्न प्रोजेक्ट पर कार्य होना था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इधर के दिनों में इसके कार्यों की गति धीमी हो गई है अतः हमारा अनुरोध है कि इसके कार्यों में तेजी लाया जाए ।

नमामी गंगे प्रोजेक्ट का ससमय पूरा करने के संबंध में

– करीब–करीब पूरे पटना में नमामी गंगे प्रोजेक्ट एवं मैंट्रो प्रोजेक्ट पर चल रहे कार्य के कारण सड़कों के काटने से सड़कों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है । सड़कों को काटने के बाद कुछ को तो अभी तक भरा भी नहीं गया है । कुछ को भरा भी गया है तो भारी वाहनों के आवागमन के कारण सड़क नीचे धस गया है । फलस्वरूप सड़क पर अचानक गड्ढा आ जाने के कारण दुर्घटना भी हो रही है । इसका कोई स्थायी समाधान निकालना नितान्त आवश्यक है ।

विधि–व्यवस्था को और कारगर बनाने के संबंध में

– अपराधिक घटनाओं पर पूर्णरूपेण अंकुश हेतु हमारा सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर CCtvकैमरा लगाया जाना चाहिए । जिस स्थान पर पूर्व से CCtv कैमरा लगे हैं वह पूर्णरूपेण कार्यरत रहे यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि अपराधी भयभीत हों । पटना में अधिकाधिक पुलिस की पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल के माध्यम से कराया जाना चाहिए इससे विशेष रूप से पटना सिटी जो कि एक घनी आबदीवाला पटना का प्राचीन एरिया है और बहुत सारे पतली–पतली गलियॉ है, जहॉ पर पुलिस का चार चक्का वाहन नहीं जा पाता है वहॉ पर काफी प्रभावी होगा ।

गंगा घाटों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण के संबंध में

– सभी गंगा घाटों को विकसित एवं सौदर्यीकृत किया जाना चाहिए। दाह–संस्कार के लिए चिह्नित घाटों पर समुचित रूप से सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

– गंगा नदी यहॉ के पर्यटन उद्योग का एक स्तंभ बन सकता है । गंगा के किनारों का सौन्दर्यीकरण – घाटों पर सिढ़ीयॉ, पैदल टहलने के लिए रास्तों का निर्माण, लाइटिंग की समुचित व्यवस्था, जल कीड़ा के साधन, गंगा के बीच में उभरे टापू का सौन्दर्यीकरण एवं विकास, सस्ते और भरोसेमंद फेरी का परिचालन की व्यवस्था पटनावासियों के साथ–साथ पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है ।

क्रमशः..........2

<u>उद्यम स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित करने के संबंध में</u>

— उद्यमियों की ज्यादातर प्राथमिकता पटना के आस–पास उद्यम लगाने की होती है अतः हमारा अनुरोध है कि पटना शहर के आस–पास के भूमि को उद्यम स्थापित करने के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए ।

<u>उद्यमियों एवं व्यवसायियों को आर्म लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में</u>

— उद्यमियों एवं व्यवसायियों को आर्म लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दिया जाना चाहिए तथा आर्म लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को और सहज बनाया जाना चाहिए ।

<u>पहाड़ी मोड़ एवं बेली रोड में उपरी पुल या under pass के संबंध में</u>

— पहाड़ी पर पहले ही यातायात का काफी दबाव था । बैरिया में बस स्टैण्ड प्रारम्भ होने के बाद स्थिति और चिंताजनक हो गयी है अतः यहॉ पर under pass or overbridge का निर्माण कराया जाना चाहिए साथ ही वहॉ से सभी तरह के अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए ।

— इंडियन रोड कॉग्रेस का निर्णय है कि जहॉ भी 6 लेन की सड़कें हैं वहॉ पर Pedestrian Crossing, under pass or overbridge अत्यावश्यक होना चाहिए । अतः बेली रोड में Womens College से सरदार पटेल भवन तक जगह–जगह पर under pass or overbridge का निर्माण कराया जाना चाहिए ।

<u>मौर्या लोक तथा अन्य व्यवसायिक प्रांगण में नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध में</u>

— जैसाकि आपसभी जानते हैं मौर्या लोक पटना का एक सर्वाधिक लोकप्रिय बाजार प्रांगण हैं जिसमें काफी संख्या में विभिन्न प्रकार के दुकानों के साथ–साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कई एक कार्यालय भी अवस्थित हैं परन्तु इसके भवन के साथ–साथ अन्य नागरिक सुविधाएं एवं लिफ्ट तथा सड़क की स्थिति काफी दयनीय होने के कारण काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है । इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

<u>ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के संबंध में</u>

— ध्वनि प्रदूषण पर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है परन्तु अभी भी ऐसा देखा गया है कि प्रतिबंधित अवधि जो कि रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक की है, इसमें भी Loud Speaker बजाया जाता है । अतः इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए । साथ ही पटना के विभिन्न भागों में अवस्थित समारोह स्थलों के बाहर सख्ती से इसके अनुपालन का बोर्ड लगाया जाना चाहिए तथा उक्त बोर्ड में इसके Violation पर उसकी सूचना देने के लिए संबंधित पदाधिकारियों का मोबाइल नम्बर भी दिया जाना चाहिए ।

<u>जलजमाव के संबंध में</u>

— पटना के विभिन्न भागों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायी जानी चाहिए क्योंकि बरसात के समय में हर साल शहर के अनेकों मुहल्लों में जल–जमाव के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

— सड़कों के मरम्मत के कारण हर साल सड़क की उॅचाई बढ़ जाने के फलस्वरूप सारे नए पुराने मकान, ऑफिस, दुकान नीचा होता जा रहा है और वर्षा एवं सिवरेज का पानी घर एवं दूकान के अंदर आ जा रहा है जिससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है ।

क्रमशः.........3

<u>यातायात (Traffic) के संबंध में</u>

— पटना शहर में बस/टैक्सी/ऑटो रिक्सा/ई–रिक्सा की संख्या दिन–ब–दिन बढ़ती ही जा रही है इसको व्यवस्थित करना नितान्त आवश्यक है क्योंकि अव्यवस्थित पार्किंग के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । इसके लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए साथ ही चालकों के लिए नाम की पट्टी के साथ वर्दी को अनविार्य बनाया जाना चाहिए ।

— पटना के प्रमख व्यवसायिक स्थलों पर गाड़ियों की पार्किंग के लिये स्थान चिन्हित कर उसका विकास किया जाना चाहिए जिससे कि अधिकाधिक गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था संभव हो सके ।

<u>यातायात जाम के संबंध में</u>

— पटना के करीब–करीब सभी व्यवसायिक स्थलों पर यातायात जाम की समस्या बनी रहती है जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है । हलांकि ट्रैफिक की समस्या केवल पुलिस प्रशासन से ही संबंधित नहीं है बल्कि इसमें कई विभागों की भागीदारी होती है इसलिए हमारा सुझाव है कि सरकार के स्तर पर आपकी ओर से एक प्रस्ताव रखा जाए कि सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों की एक कमिटी बनाकर यातायात जाम की समस्या से निजात के लिए संयुक्त रूप से पहल किया जाए तथा इसके लिए एक ठोस कार्य योजना बनायी जाए ।

— पटना के विभिन्न भागों में बने ओवर ब्रीज के नीचे अनाधिकृत रूप से दुकान लगाने के कारण यातायात बाधित होती है । पुलों के नीचे के अवैध कब्जों को व्यवस्थित करने तथा इसे हटाने के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए ।

<u>यातायात नियंत्रण कक्ष की स्थापना</u>

— पटना में गाड़ियों की संख्या में जबर्दस्त वृद्धि को ध्यान रखते हुए एक अलग से यातायात नियंत्रण कक्ष राजधानी पटना में स्थापित करने की आवश्यकता है । भीषण ट्राफिक जाम वाले स्थानों पर वाकी–टॉकी से लैस उपयुक्त संख्या में ट्रैफिक के जवानों को लगाया जाना चाहिए साथ ही इन स्थानो पर हमेशा क्रेन की व्यवस्था रहनी चाहिए ।

<u>ट्रान्सपोर्ट नगर के संबंध में</u>

— पटना शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के कारण पटना के करीब–करीब सभी व्यवसायी बाहर से बड़े वाहनों से अपना सामान ट्रान्सपोर्ट नगर में मंगाते हैं और वहाँ से छोटे–छोटे वाहनों के द्वारा अपने–अपने दुकानों तक लाकर उसकी बिक्री करते हैं । ट्रान्सपोर्ट नगर, पटना राजधानी के व्यवसायियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण भंडारण स्थल होने के बावजूद प्रशासनिक अनदेखी की जा रही है । सड़को की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है जिसके कारण वाहन पलट जाने से व्यवसायियों को दोहरा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है । एक ओर तो उनका सामान बर्बाद होता है दूसरी ओर वाहनों के ड्राईवर–खलासी का इलाज भी कराना पड़ता है । अत: अविलम्ब ट्रान्सपोर्ट नगर के सड़को को दुरूस्त किया जाना चाहिए ।

<u>भवन निर्माण विभाग से संबंधित सुझाव</u>

<u>छड़ की खरीद में ब्राण्ड की शर्त को समाप्त कराने के संबंध में</u>

— ऐसा देखा जाता है कि भवन निर्माण विभाग की ओर से भवनों का जो निर्माण कराया जाता है उसमें केवल दो–तीन ब्राण्ड के छड़ की खरीद की जाती है जबकि बिहार में छड़ के काफी उत्पादक हैं लेकिन ब्राण्ड का शर्त लगा देने के कारण राज्य के छड़ के विनिर्माण इकाइयॉ वंचित हो जाती है अत: उन्हें भी अवसर दिया जाना चाहिए ।

क्रमशः.........4

<u>MSME के लिए Earnest Money के प्रावधान को समाप्त करने के संबंध में</u>

– भवन निर्माण विभाग के निविदा में राज्य में कार्यरत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) को Earnest Money (अग्रिम धन) जमा करने के प्रावधान को समाप्त किया जाना चाहिए ।

<u>भवन के उपयोग में आनेवाले सामग्रियों की खरीद स्थानीय उद्यम से करने के संबंध में</u>

– भवन निर्माण विभाग की ओर से बननेवाले भवन के उपयोग में आनेवाले सामग्रियों की खरीद स्थानीय उद्यम से ही किया जाना चाहिए जिससे कि राज्य में अवस्थित स्थानीय उद्यमी आर्थिक रूप से और सुदृढ़ हो सकें ।

<u>फ्लाई ऐश ईंट का अधिकाधिक उपयोग के संबंध में</u>

– आवास, औद्योगिक भवन, फलाई ओवर एवं सड़कों के निर्माण में जहॉ तक संभव हो अधिकाधिक फ्लाई ऐश ईंट का उपयोग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जिससे कि पर्यावरण कम–से–कम प्रभावित हो सके ।

<u>Contract Works के संबंध में</u>

– सरकार द्वारा Contract Works में कार्य पर GST को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है जबकि पुराना जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें GST 12% ही था अत: अनुरोध है कि पुराने एग्रीमेंट के अनुसार जो 6% की वृद्धि की गयी है उस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

– पूर्व में संवेदक को टेंडर से 10% से Below जाने का अधिकार नहीं था । वह सीमा अब हटा दिया गया है जिसके कारण अज्ञानतावश संवेदक 30-40% Below जाकर टेंडर डाल रहे हैं । ऐसी परिस्थिति में हो यह रहा है कि टेंडर मिल जाने के बाद संवेदक कार्य करने में असमर्थ हो रहे हैं तथा कार्य की Quality को भी Maintain नहीं कर पा रहे हैं । अत: हमारा अनुरोध है कि इस बात की जॉच की जानी चाहिए यदि सही पायी जाती है तो पूर्व की शर्तें लागू करने पर विचार किया जा सकता है ।

– सभी सरकारी विभागों की ओर से Price Purchase Policy का अनुपालन किया जाना चाहिए और स्थानीय विनिर्माताओं यथा – सरिया, टाइल्स, प्लाई, पेंट आदि जैसे भवन निर्माण में आनेवाले वस्तुओं को भी सरकार के Approved list में डाला जाना चाहिए ।

****

<u>पटना</u>

<u>दिनांक : 05-03-2022</u>